

पत्र सूचना शाखा  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

## राज्यपाल ने नई प्रोटोकाल प्रथा का अनुमोदन किया

**लखनऊ: 20 अगस्त, 2014**

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने प्रोटोकाल की वर्तमान प्रथा में संशोधन करते हुए कहा है कि राज्य के अन्तर्गत आयोजित होने वाले समारोहों में तथा राज्य के महानुभावों एवं राज्यपाल महोदय के मध्य होने वाले परस्पर वार्तालाप में 'His Excellency' अथवा 'महामहिम' शब्द का प्रयोग नहीं किया जायेगा। ऐसे अवसरों पर हिन्दी में 'महामहिम' के स्थान पर 'माननीय राज्यपाल' अथवा 'राज्यपाल महोदय' शब्द का प्रयोग किया जायेगा। 'Governor' के पदनाम के पूर्व 'Hon'ble' शब्द का प्रयोग किया जायेगा। परम्परागत भारतीय शुभकामनाओं में नाम से पूर्व 'श्री या श्रीमती या सुश्री' शब्द का प्रयोग किया जायेगा।

श्री नाईक ने यह भी कहा है कि शासकीय टिप्पणियों में 'महामहिम' के स्थान पर 'राज्यपाल महोदय' शब्द का प्रयोग किया जायेगा।